(21)

अधिवक्ता श्री रत्नेश दुबे जिला- होशंगाबाद द्वारा आज दिनांक 22/8/2017 को प्रस्तुत।

22/8/2017

PBR/निग०/होश०/2017/2552

गिरीश कुमार द्विवेदी आ. स्व. प्रवीणचंद्र द्विवेदी

निवासी ग्राम बिछुआ तह. बाबई जिला

होशंगाबाद ———— पुनरीक्षणकर्ता.

बनाम

म०प्र०राज्य -

द्वारा:-

1. म०प्र०शासन द्वारा-कलेक्टर महोदय होशंगाबाद

2. श्रीमान उपसंचालक कृषि, होशंगाबाद तहसील

व जिला होशंगाबाद

3. सचिव, कृषि उपज मंडी, सेमरी हरचंद जिला होशंगाबाद

4. अपर आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग,

होशंगाबाद ———— उत्तरवादीगण।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता.

- -

मानननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा रा.अ.क्र.-970/अपील वर्ष 16-17 में पारित आदेश दिनांक- 11.5.17 जिसकी जानकारी अपीलार्थी अधिवक्ता को दिनांक-14/06/17 को हुई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आज दिनांक 23/06/17 को प्राप्त हुई प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने से निर्धारित समयावधि में यह पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायलय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

प्रार्थी/पक्षकार

सत्यप्रति 2011

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/2017/2552 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–10–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है और उसका अधिग्रहण नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि वापिस आवेदक को प्राप्त नहीं हो सकती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष अपील अग्राह्य करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	